



प्रेस विज्ञप्ति

31.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने 30.08.2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें शक्ति रंजन दाश का आवासीय परिसर और उन कंपनियों, मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल), का व्यावसायिक परिसर शामिल है, जिनमें शक्ति रंजन दाश प्रबंध निदेशक हैं। यह तलाशी अभियान मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चलाया गया।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा मेसर्स आईटीसीओएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स आईटीसीओएल के निदेशकों ने विभिन्न कंपनियों के अन्य आधिकारिक कर्मचारियों और सीए के साथ मिलकर बैंकों के एक संघ से प्राप्त ऋणों का गबन किया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स आईटीसीओएल ने 2009 से 2013 तक बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से बैंकों के समक्ष जाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और फर्जी/शेल कंपनियों को फर्जी बिक्री दिखाकर ऋण प्राप्त किए थे। इसके अलावा, मेसर्स आईटीसीओएल द्वारा प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। इस मामले में बैंक धोखाधड़ी की राशि लगभग 1396 करोड़ रुपये थी।

इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने 310 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की थी। इसके अलावा, 310 करोड़ रुपये की इन ज़ब्त संपत्तियों में से, 289 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ ईडी द्वारा अप्रैल 2025 में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को वापस कर दी गई हैं।

इसके अलावा, पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, यह पता चला कि मेसर्स आईटीसीओएल और उससे संबंधित फर्जी संस्थाओं ने 59.80 करोड़ रुपये मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा (एएमपीएल) के बैंक खातों में स्थानांतरित किए हैं। इसके अलावा, यह भी पता चला कि एएमपीएल के एमडी शक्ति रंजन दाश ने जानबूझकर राकेश कुमार शर्मा (मेसर्स आईटीसीओएल के प्रमोटर) को बैंक ऋण राशि को अन्यत्र स्थानांतरित करने और ओडिशा में खनन गतिविधियों में उसका उपयोग करने में मदद की। इस प्रकार, शक्ति रंजन दाश ने उक्त राशि (अपराध की आय) को मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में एकीकृत कर दिया, जिसने फिर इस दागी धन को अपने खातों में बेदाग धन के रूप में प्रदर्शित किया।

तलाशी अभियान के दौरान, शक्ति रंजन दाश और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधित 10 लग्जरी वाहन और 3 सुपर बाइक ज़ब्त की गईं। ज़ब्त की गई महंगी लग्जरी गाड़ियों/सुपर बाइक में पोर्श कायेन, मर्सिडीज बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू-

एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर, होंडा गोल्ड विंग बाइक आदि शामिल हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, 13 लाख रुपये नकद, लगभग 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण और शक्ति रंजन दाश और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों की अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान शक्ति रंजन दाश के 2 लॉकर भी जब्त कर लिए गए हैं।

आगे की जाँच जारी है।